# सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर



#### थाना नांगल पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त सलीम पुत्र शफीक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार —

अवगत कराना है कि श्रीमान एडीएम प्रशासन महोदय के आदेशानुसार दिनांक 27.01.2021 को 06 माह के लिए जिलाबदर अभियुक्त सलीम पुत्र शफीक निवासी सैदपुरी थाना नांगल जनपद बिजनौर को आदेश के अनुपालन में जिलाबदर का नोटिस तामील कराकर जनपद बिजनौर की सीमा के बाहर छोडा गया था। कल दिंनाक 20.03.2021 को थाना नागंल पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त सलीम उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर सैदपुरी पुलिया के पास से मय एक अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु030सं0 14/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु030सं0 15/21 धारा 10 उ0प्र0 गुंडा नियंन्त्रण अधि0 पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सलीम पुत्र शफीक निवासी सैदपुरी थाना नांगल जनपद बिजनौर

#### आपराधिक इतिहास अभि0 सलीम -

- 1. मु0अ०स० 10/18 धारा 3/5/8 गौंवध अधि0
- 2. मु0अ०स० 37/20 धारा 269/270/429 भादवि
- 3. मु0अ०स० 14/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
- 4. मु0अ०स० 15/21 धारा 10 उ०प्र० गुंडा नियन्त्रण अधि०

#### गिरफ्तार करने वाली टीम ---

1— का० 1380 इमरान खान , 2— का० 1902 प्रवीण कुमार , 3— का० 360 शाने आलम



थाना स्योहाराः- आज दिनांक 21.03.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- संजय पुत्र धर्मपाल 2-लोकेंद्र पुत्र रामिसंह निवासीगण ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण संजय पुत्र रामकुमार व वेद प्रकाश पुत्र कचरू सिंह निवासीगण ग्राम अमीनाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना मंडावर:- थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- भानु पुत्र धर्म सिंह निवासी सवाजपुर 2- शुभम पुत्र नरेश निवासी सवाजपुर 3- आदिल पुत्र नजाकत निवासी रामजी वाला 4- नजाकत पुत्र मुन्ने निवासी रामजी वाला 5- मितेश पुत्र धूम सिंह निवासी हाजीपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना शिवाला कलाः- थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा अभियुक्त गजराज पुत्र त्रिमल निवासी मुराहट थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली शहर:- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा शाजेब उर्फ शावेज उर्फ सोनू पुत्र मोहम्मद परवेज निवासी मौ० चाहशीरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना बढापुर:- थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- अर्जुन पुत्र रमेश 2- सोनू पुत्र दयाराम 3- रिंकू पुत्र कुंवर सिंह निवासीगण मोहल्ला करूबा व थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना बढापुर:- थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त पाला सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मधपूरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 37/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।



थाना शेरकोटः- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त जािकर पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी पुराना धामपुर थाना धामपुर जिला बिजनौर को एक अवैध तमंचे 315 बोर व 01 कारतूस सिहत गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 38/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त राजिक पुत्र नईम अहमद निवासी मोहल्ला नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर को नाजायज चाकू सिहत गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 39 /21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। उपरोक्त दोनो अभियुक्तो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना शेरकोटः- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त रियासत अली पुत्र शौकत अली निवासी मोहल्ला नई सराय पुराना धामपुर टंकी के पास थाना धामपुर बिजनौर व महमूद पुत्र फकरुद्दीन निवासी ग्राम भनोटी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



## जनपद बिजनौर दिनांक 21-03-2021





आज दिनांक 21.03.2021 को थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ०प्र० सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये "मिशन शक्ति" के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।





